अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 अप्रैल, 2009

का.आ. 998(अ).—जैवविविधता अधिनियम, 2002 (2003 का 18)की धारा 38 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार के साथ परामर्श करके ऐसे पादपों और वन्य जीव प्रजातियों को अधिसूचित करती है, जो विलुप्ति के कगार पर हैं, जो कि नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (2) में सूचीबद्ध हैं, और उत्तर प्रदेश राज्य के संबंध में इस अधिसूचना के उपाबद्ध में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन उनके संग्रहण को प्रतिषेद्ध और विनियमित करती है, अर्थात्

सारणी

क्रम सं0	प्रजातियों के नाम
(1)	(2)
	पादप
1	इंडोपिपटाडेनिया आउढेंसिस (ब्रांडिस) ब्रेनन

उपाबद्ध

शर्त सं.	शर्तें

1. किसी भी व्यक्ति द्वारा निम्नलिखित प्रयोजनों के सिवाय ऊपर अधिसूचित पादप अथवा वन्यजीव प्रजातियों का जीवित अथवा मृत अवस्था में संग्र[illegible] किया जाएगा जब तक कि इस संबंध में संबंधित राज्य के जैवविविधता बोर्ड से [illegible]नुमोदन न लिया गया हो और यह भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का [illegible]) और वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) या सुसंगत राज्य के [illegible]न और वन्यजीव विधानों के उपबंधों के अनुरुप भी हो; अर्थात

   (क) वैज्ञानिक अनुसंधान;
   (ख) हरबेरियम और वैज्ञानिक और शैक्षिक संस्थाओं का संग्रहालय;
   (ग) प्रचार; और
   (घ) कोई अन्य वैज्ञानिक अन्वेषण ।

2. संबंधित राज्य जैवविविधता बोर्ड निम्नलिखित आरम्भ और संचालन करेंगे:-

   (i) समग्र जानकारी के लिए, अधिसूचित प्रजातियों के सभी पहलुओं का अध्ययन करना ।
   (ii) स्वस्थाने और स्थान बाह्य संरक्षण और पुन:स्थापन के प्रयोजनार्थ, अधिसूचित प्रजातियों का प्रचार; और
   (iii) जागरूकता कार्यक्रम चलाना और वन विभाग के कार्मिकों, जैवविविधता प्रबंधन समितियों, पर्यावरणीय पर्यटन कार्यक्रमों और वनवासियों तथा जनजातियों को अधिसूचित प्रजातियों के संबंध में शैक्षिक सामग्री उपलब्ध कराना ।

[फा. सं. 28-12/2008-सी एस-III]

ए. के. गोयल, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th April, 2009

S.O. 998(E).—In exercise of powers conferred by section 38 of the Biological Diversity Act, 2002 (18 of 2003), the Central Government, in consultation with the Government of Uttar Pradesh, hereby notifies the species of plants and animals which are on the verge of extinction, as listed in column (2) of the Table given below, and prohibit and regulate the collection thereof, subject to the conditions specified in the Annexure to this notification, for the State of Uttar Pradesh, namely:—

TABLE

Sl.No.	Name of the species
(1)	(2)
	Plants
1.	*Indopiptadenia oudhensis* (Brandis) Brenan

Annexure

Condition No.	Conditions

1. No plant or animal species as notified above shall be collected in live or dead condition by any person except, for purposes mentioned below, with the approval of the concerned State Biodiversity Board; and also in accordance with the provisions of the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927) and the Wild Life (Protection) Act, 1972 (53 of 1972) or the relevant State forest and wildlife legislations, namely:-

   (e) Scientific research;
   (f) Herbarium and museum of scientific and academic institutions;
   (g) Propagation; and
   (h) Any other scientific investigation.

2. The concerned State Biodiversity Board shall initiate or conduct :-

   (iv) studies on all aspects of the notified species for holistic understanding;

   (v) propagation of the notified species for the purpose of *in situ* and *ex situ* conservation and rehabilitation; and

   (vi) awareness programmes and provide educational materials on notified species for forest department personnel, Biodiversity Management Committees, ecotourism programmes, and forest dwellers and tribals.

[F. No. 28-12/2008-CS-III]
A. K. GOYAL, Jt. Secy.